>

Title: Regarding scholarships to OBC and creamy layer students in Maharashtra and other States.

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): सभापति जी, मैं अन्य पिछड़ी जाति के छात्रों के साथ महाराष्ट्र में हो रहे अन्याय के बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सन् 1989 में मंडल कमीशन की सिफारिशों को माना गया था और तब से अब तक पिछड़ी जाति के छात्रों को आरक्षण और स्कालरशिप की सुविधा दी जा रही है। लेकिन महाराष्ट्र में इन छात्रों को स्कालरशिप नहीं दी जाती है। इसके अलावा देश में क्रीमीलेयर की घोषणा की गई थी और उसकी सीमा 6 लाख रुपए की गई थी, वहीं महाराष्ट्र में इसकी सीमा साढ़े चार लाख रुपए मानी जा रही है। इतना ही नहीं, पूरे देश में इनके लिए 27 प्रतिशत आरक्षण है, जबकि हमारे महाराष्ट्र में चन्द्रपुर, गढ़चिरौली और यवतमाल जिलों में सिरफ 14 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि 27 प्रतिशत देना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार अन्य पिछड़ा जाति के छात्रों पर अन्याय कर रही है। मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि केन्द्र की जो नीति है, उसके खिलाफ वहां काम हो रहा है इसलिए केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार को निर्देश दे कि ओबीसी छात्रों पर अन्याय न हो और उचित न्याय दिया जाए।

MR. CHAIRMAN :

Shri Anurag Singh Takhur is permitted to associate with the issue raised by Shri Hansraj G. Ahir.